भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या- *52 गुरूवार, 2 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)

ओडिशा में कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज

*52. श्रीमती ममता मोहंताः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए ओडिशा के अनेक कलाकारों को चिन्हित कर लिया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ओडिशा के उन कलाकारों की सहायता के लिए, जिन्हें कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है, प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने का विचार रखती है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"ओडिशा में कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज" के संबंध में श्रीमती ममता मोहंता, सांसद द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 02-12-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *52 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें कोविड -19 के कारण बेरोजगार कलाकारों के संबंध में जानकारी नहीं है। तथापि, उन्होंने कलाकारों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कोविड-19 के दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें उनको भागीदार बनाया गया। कलाकार महासंघ योजना के तहत ओडिशा सरकार द्वारा 1.5 लाख लोक कलाकारों की पहचान की गई है और उनका नामांकन किया गया है। ओडिशा सरकार "मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना" के तहत विभिन्न श्रेणियों के 35,000 कलाकारों को 1200 रुपये प्रति माह की मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने भी कोविड -19 महामारी के दौरान कलाकारों को सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कलाकारों को पारिश्रमिक के रूप में 9.27 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं, कलाकारों को वित्तीय अनुदान योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए समर्पित हेल्प लाइन खोली गई, लोक/आदिवासी कलाकारों को भुगतान पर कार्यनिष्पादन के लिए ऑनलाइन मंच की पेशकश की गई और पुराने कलाकारों को वार्षिक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त से छूट प्रदान करके 'कलाकार पेंशन' जारी करने की अनुमित दी गई। संस्कृति मंत्रालय ने कोविड -19 के दौरान वित्तीय संकट का सामना करने वाले और अपनी आजीविका के साधन खोने वाले कलाकारों की मदद करने के लिए ऊपर उल्लिखित योजनाओं के तहत अनुदानों को शीघ्र और समय पर जारी करना सुनिश्चित किया है।

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय कोष अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता, बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना, सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना, कला एवं संस्कृति के प्रचार के लिए छात्रवृत्ति और अधिछात्रवृति की योजना, राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना, कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना, सेवा भोज योजना के तहत वित्तीय सहायता और स्टूडियो थिएटर सहित निर्माण अनुदान की व्यवस्था करने के लिए प्रदर्शन कलाओं में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 123*

गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 /18 अग्रहायण, 1943 (शक)

श्रम कानूनों में सुधार

*123. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संगठित और असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या कितनी -िकतनी है;
- (ख) क्या प्रधानमंत्री ने कहा है कि बड़ी संख्या में असंगठित रोजगार का कारण कठोर श्रम कानूनों का होना है;
- (ग) यदि हां, तो ठेका श्रम अधिनियम समेत श्रम कानूनों में सुधार लाने के लिए क्या -क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;
- (घ) वर्तमान में श्रम और ठेका कामगारों की संख्या कितनी है और इनके विकास का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) नियोक्ता द्वारा ठेका कामगारों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

**

श्रम कानूनों में सुधार के संबंध में श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर द्वारा पूछे गए दिनांक 09.12.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *123 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

- (क) और (ख): आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, वर्ष 2017-18 में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 9.05 करोड़ और 38.7 करोड़ थी।
- (ग): मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने तथा उनका सरलीकरण करने के हिष्टिगत, भारत सरकार ने निम्नलिखित चार श्रम संहिताओं का अधिनियमन किया है:
- (i) मजद्री संहिता 2019,
- (ii) औद्योगिक संबंध संहिता 2020,
- (iii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020, तथा
- (iv) सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020.

ये संहिताएं विद्यमान 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों के सरलीकरण, आमेलन और औचित्यकरण के बाद तैयार की गई हैं, जो कामगारों की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण तथा स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में असंगठित कामगारों सहित श्रमिकों को उपलब्ध संरक्षण को मजबूत करेंगी।

उपर्युक्त चार संहिताओं में, परिभाषाओं, प्राधिकारों बहुल दस्तावेजों, लाइसेंसों, पंजीकरण, रजिस्टरों की अधिक संख्या को कम करने और तर्कसंगत करने तथा कार्यान्वयन और प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने वाली प्रौद्योगिकी प्रारंभ करने की परिकल्पना की गई है। ये संहिताएं वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप हैं तथा व्यवसाय करने की सुगमता/ उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाएंगी और कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसरों के सृजन में उत्प्रेरक बनेंगी।

(घ): संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत जारी लाइसेंसों और पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या अन्बंध में दी गई है।

(ङ): संविदा श्रमिक विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत शामिल किए जाने हैं जैसे केन्द्रीय क्षेत्र के संगठन में संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, आदि। मुख्य श्रमायुक्त (कें.) का कार्यालय केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में इन श्रम कानूनों को लागू करता है तथा निरीक्षणों के दौरान उल्लंघन का पता लगने की स्थित में, नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाती है।

प्रधान नियोजकों को सशक्त बनाने के लिए, ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं दी गई थीं; जिनके माध्यम से प्रधान नियोजक अपने यूएएन लॉगइन द्वारा कामगारों के ईपीएफ खातों में ठेकेदारों द्वारा प्रेषित धनराशि देख सकते हैं।

यह सुविधा प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) और आत्मिनर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार से ठेकेदार को मिलने वाले लाभों, यदि कोई हों, को यह सुनिश्चित करने के लिए भी उजागर करती है कि ये लाभ ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों तक भी पहुंचें।

प्रधान नियोजक द्वारा 38,654 ठेकेदारों और 2.28 लाख ठेका कर्मचारियों को जोड़ा गया है जो व्यक्तिगत ठेका कर्मचारियों के संबंध में माहवार अनुपालन देख पाने में समर्थ हैं।

प्रधान नियोजक सुनिश्चित कर सकता है कि ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी कर्मचारी सदस्यों के रूप में नामित हों तथा ठेकेदारों द्वारा सांविधिक अंशदानों का भुगतान किया जाए।

अनुबंध

श्रम कानूनों में सुधार के संबंध में श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर द्वारा पूछे गए दिनांक 09.12.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *123 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 के अनुसार संविदा श्रमिकों की संख्या (जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न
	प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदा श्रमिकों की
	कुल संख्या
2018	1178878
2019	1364377
2020	1324874

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या- *130 गुरूवार, 9 दिसम्बर, 2021/18 अग्रहायण, 1943 (शक)

रोजगार सृजन

*130. श्री नीरज शेखरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) वर्ष 2021 के दौरान अब तक रोजगार सृजन का राज्य और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2021 के दौरान अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का राज्य और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"रोजगार सृजन" के संबंध में श्री नीरज शेखर, सांसद द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 09-12-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *130 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): हाल ही में सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल- भारतीय तिमाही संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। अप्रैल से जून 2021 की अवधि हेतु तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के प्रथम दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार की संख्या 3.8 करोड़ हो गई है जबिक यह छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में यथा रिपोर्टित सामूहिक रूप से लिए गए इन क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ थी जो कि 29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। 152 प्रतिशत की सर्वाधिक प्रभावी वृद्धि आईटी/बीपीओ क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबिक स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में यह 22 प्रतिशत, परिवहन में यह 68 प्रतिशत तथा निर्माण में यह 42 प्रतिशत रही है। अप्रैल से जून, 2021 की अवधि के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) के प्रथम दौर के परिणाम के अनुसार, कुल अनुमानित कामगारों का क्षेत्र-वार प्रतिशत वितरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देकर एवं विभिन्न योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय द्वारा रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड 19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मिनर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मिनर्भर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित, देश भर में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

भारत सरकार वर्तमान में रोजगार सृजन के लिए तीन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जो देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है: -

- i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस): यह एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं ,को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। एमजीएनआरईजीएस के तहत 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। योजना की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।
- ii. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई): यह वेतन रोजगार के लिए नियोजन से जुडा एक कौशल विकास कार्यक्रम है। योजना की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।
- iii. ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास: यह एक प्रशिक्षु को बैंक ऋण लेने और अपना खुद का सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाता है। ऐसे कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतनभोगी रोजगार की तलाश भी कर सकते हैं। इस योजना की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

जबिक एमजीएनआरईजीएस प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है, डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई योजनाएं देश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मजदूरी या स्व-रोजगार के माध्यम से नियोजनीयता को बढ़ावा देती हैं। उपरोक्त के अलावा, सरकार रोजगार सृजन के लिए विभिन्न अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- i. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): कौशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षा को मान्यता (आरपीएल) के तहत देश भर के युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए अपनी फ्लैगशीप योजना, पीएमकेवीवाई कार्यान्वित कर रहा है।
- ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- iii. सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) आरंभ किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान ने 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सूजन प्राप्त किया है।
- iv. सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत, नवंबर 2021 तक 31.28 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

राज्य सभा के दिनांक 09.12.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *130 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

	कुल अनुमानित कामगारो	ं का क्षेत्र-वार प्रतिशत वितरण।			
क्र.स.	क्षेत्र	स्व-रोजगार	कर्मचारी		
		(% में)	(% में)		
1	उत्पादन	1.9	98.1		
2	निर्माण	1.1	98.9		
3	व्यापार	3.3	96.7		
4	परिवहन	1.4	98.6		
5	शिक्षा	1.1	98.9		
6	स्वास्थ्य	0.8	99.2		
7	आवास और रेस्टोरेंट	3.9	96.1		
8	आईटी/बीपीओ	1.0	99.0		
9	वित्तीय सेवाएं	1.0	99.0		
योग		1.6	98.4		

स्रोत: तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के पहले दौर की रिपोर्ट, अप्रैल, 2021

राज्य सभा के दिनांक 09.12.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *130 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजी-नरेगा)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22 (21.11.2021 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2593	2167
2	अरुणाचल प्रदेश	128	84
3	असम	914	477
4	बिहार	2283	1074
5	छत्तीसगढ	1841	794
6	गोवा	1	0.4
7	गुजरात	482	407
8	हरियाणा	180	94
9	हिमाचल प्रदेश	336	216
10	जम्मू और कश्मीर	407	155
11	झारखंड	1176	763
12	कर्नाटक	1484	1223
13	केरल	1023	519
14	लद्दाख	21	10
15	मध्य प्रदेश	3422	2203
16	महाराष्ट्र	679	373
17	मणिपुरी	332	209
18	मेघाल य	384	165
19	मिजोरम	199	141
20	नागालैंड	180	104
21	ओड़िसा	2082	1494
22	पंजाब	377	223
23	राजस्थान	4605	2495
24	सिक्किम	37	22
25	तमिल नाडु	3339	2191
26	तेलंगाना	1579	1192
27	त्रिपुरा	437	267
28	उत्तर प्रदेश	3947	1995
29	उत्तराखंड	304	141
30	पश्चिम बंगाल	4141	2459
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0.7
32	दादरा और नगर हवेली	0	0
33	दमन और दीव	0	0
34	लक्षद्वीप	.02	0.05
35	पुदुचेरी	10	4.8
	कुल	38,929	23,661

हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

राज्य सभा के दिनांक 09.12.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *130 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या और ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास का राज्य-वार ब्यौरा।

		डीडीयू	-जीकेवाई	आरएस	ईटीआई		
क्र.सं.	राज्य	2020-21 के दौरान नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या	2021-22 के दौरान नियोजित उम्मीदवारों की संख्या (अक्टूबर, 2021 तक)	2020-21 के दौरान व्यवस्थित उम्मीदवारों की संख्या	2020-21 के दौरान व्यवस्थित उम्मीदवारों की संख्या (अक्टूबर, 2021 तक)		
1	आंध्र प्रदेश	2177	2132	3836	2514		
2	अरुणाचल प्रदेश	33	0	57	0		
3	असम	3296	603	5145	2240		
4	बिहार	2745	1018	10817	4401		
5	छत्तीसगढ	3683	1431	4927	1577		
6	गुजरात	875	340	7859	4397		
7	हरियाणा	1213	0	6744	2745		
8	हिमाचल प्रदेश	117	0	2019	1207		
9	जम्मू और कश्मीर	1945	290	3955	1171		
10	झारखंड	1879	351	7982	2364		
11	कर्नाटक	1649	301	12649	7438		
12	केरल	2931	723	4752	2262		
13	मध्य प्रदेश	969	0	15530	4586		
14	महाराष्ट्र	3319	1358	13033	4178		
15	मणिपुर	387	89	277	43		
16	मेघालय	158	92	687	370		
17	मिजोरम	88	14	457	165		
18	नागालैंड	278	218	118	77		
19	ओड़िसा	7729	2258	11574	3761		
20	पंजाब	1931	865	5489	2161		
21	राजस्थान	1759	2818	12682	5574		
22	सिक्किम	43	0	134	21		
23	तमिलनाडु	1286	444	12517	5766		
24	तेलंगाना	1436	2494	2647	1228		
25	त्रिपुरा	609	0	836	414		
26	उत्तर प्रदेश	4068	990	27673	11553		
27	उत्तराखंड	416	116	4829	1223		
28	पश्चिम बंगाल	2544	2424	4591	1792		
29	यूटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	135	88		
30	यूटी दादर एवं नगर हवेली	-	-	331	25		
31	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	-	-	328	168		
32	केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप	-	-	98	30		
33	यूटी पुड्डुचेरी	-	-	420	159		
	कुल	49563	21369	185234	75698		

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 132*

गुरूवार, 09 दिसम्बर, 2021 /18 अग्रहायण, 1943 (शक)

देश में 'गिग' (जीआईजी.) श्रमिकों के लिए योजना

*132. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में 'गिग' श्रमिकों की राज्य-वार क्ल संख्या कितनी-कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए योजना बनाकर उसको अंतिम रूप दे दिया है;
- (ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत गिग श्रमिकों को क्या-क्या सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे;
- (घ) 'गिग' श्रमिकों के लिए प्रस्तावित निधि में कम्पनियों के सामाजिक सुरक्षा अंशदान की गणना करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले 'कारोबार' (टर्नओवर) की परिभाषा के संबंध में ऑनलाइन प्लेटफार्म कंपनियों का क्या विवाद है;
- (ङ) क्या इस म्द्रे का समाधान कर लिया गया है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**

देश में गिग कामगारों के लिए योजना के संबंध में श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी, माननीय सांसद द्वारा पूछे गए दिनांक 09.12.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 132 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): पहली बार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग कामगार' या 'प्लेटफॉर्म कामगार' की पिरभाषा दी गई है। सरकार ने दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारम्भ किया है जो किसी व्यक्ति के लिए स्व-घोषणा के आधार पर श्रम-पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण कराना संभव बनाता है। श्रम पोर्टल के अनुसार, 02.12.2021 की स्थिति के अनुसार देश में पंजीकृत गिग कामगारों की संख्या 7,29,447 है। गिग कामगारों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) और (ग): गिग या प्लेटफॉर्म कामगार से संबंधित संहिता के अंतर्गत मौजूद उपबंधों के लागू न होने के कारण किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने तथा गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए योजनाएं बनाने का उपबंध है।

(घ) से (च): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 114 के तहत 'टर्नओवर' सहित सामाजिक सुरक्षा संहिता (केन्द्रीय) नियमों का प्रारूप दिनांक 13.12.2020 को हितधारकों के परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया था।

देश में गिग कामगारों के लिए योजना के संबंध में श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी, माननीय सांसद द्वारा पूछे गए दिनांक 09.12.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 132 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्रम सं.	2 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार गिर् राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पंजीकरण की संख्या
फ्रम्म स्त.	राज्य/संव राज्य दात्र का नान	पजाकरण का संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	43
2	आंध्र प्रदेश	10,825
3	अरुणाचल प्रदेश	39
4	असम	12,761
5	बिहार	68,720
6	चंडीगढ़	305
7	छत्तीसगढ	31,550
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव	30
9	दिल्ली	3,604
10	गोवा	35
11	गुजरात	12,759
12	हरियाणा	4,974
13	हिमाचल प्रदेश	3,101
14	जम्मू और कश्मीर	4,136
15	झारखंड	45,798
16	कर्नाटक	9,915
17	केरल	9,562
18	लद्दाख	2
19	मध्य प्रदेश	24,124
20	महाराष्ट्र	18,850
21	मणिपुर	416
22	मेघालय	430
23	मिजोरम	18
24	नागार्लेंड	449
25	ओडिशा	52,174
26	पुदुचेरी	264
27	पंजाब	20,375
28	राजस्थान	15,235
29	सिक्किम	14
30	तमिलनाडु	9,511
31	तेलंगाना	10,654
32	त्रिपुरा	1,627
33	उत्तर प्रदेश	133,976
34	उत्तराखंड	3,073
35	पश्चिम बंगाल	220,128
क्ल	·	729,477

भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *166

जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 2021/23 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

वित्तीय संस्थानों के पास विद्यमान अदावी धनराशि

*166. श्री संजय राउतः

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सच है कि बैंकों, म्यूचुअल फंड, भविष्य निधि और बीमा कम्पनियों के पास 82,000 करोड़ रुपये से अधिक की अदावी धनराशि है:
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से एक निश्चित समय सीमा के भीतर व्यक्ति या उसके निकट संबंधी को यह राशि वापस करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार उपर्युक्त धन का उपयोग गरीबों और दलितों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए करने पर विचार करेगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"वित्तीय संस्थानों के पास विद्यमान अदावी धनराशि" के संबंध में श्री संजय राउत, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया 14 दिसम्बर, 2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *166 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 दिनों के भीतर भारत में सभी खाते, जिनका परिचालन 10 वर्ष से नहीं किया गया है, के संबंध में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति (अर्थात् 31 दिसम्बर) की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्धारित प्ररूप तथा पद्धति में विवरण प्रस्तुत करेगी। आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में ऐसे खातों की कुल संख्या 8,13,34,849 थी तथा ऐसे खातों में कुल जमा राशि 24,356 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से परिचालित न किए गए खातों की संख्या 77,03,819 थी तथा इन खातों में जमा की गयी राशि 2,341 करोड़ रुपए थी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों में अदावाकृत कुल जमा राशि 22,043.26 करोड़ रुपए थी और दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार गैर-जीवन बीमा कंपनियों में अदावाकृत कुल जमा राशि 1,241.81 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार म्यूच्अल फंड में अदावाकृत राशि 1,590.67 करोड़ रुपए थी, जिसमें 671.88 करोड़ रुपए की राशि अदावाकृत विमोचन के संबंध में तथा 918.79 करोड़ रुपए की राशि अदावाकृत लाभांश के संबंध में थी।

(ग): "बैंकों में ग्राहक सेवा" के संबंध में अपने मास्टर परिपत्र के माध्यम से आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए गए अनुदेश के अनुसार, बैंकों को ऐसे खाते, जिनका एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन न किया गया हो, की वार्षिक समीक्षा करना और ग्राहक से संपर्क करना तथा उन्हें लिखित में यह सूचना देना कि उनके खाते में कोई परिचालन नहीं किया गया है और उनसे कारण प्राप्त करना अपेक्षित है। बैंकों को वैसे खाते, जो निष्क्रिय हों अर्थात्, जिन खातों में दो वर्ष से अधिक समय से कोई लेन-देन न किया गया हो, के संबंध में ग्राहक/कानूनी वारिश का पता लगाने के लिए विशेष अभियान आरंभ करने पर विचार करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बैंकों को अदावकृत जमा राशि/निष्क्रिय खाते, जो 10 वर्ष या इससे अधिक समय से निष्क्रिय हैं, की सूची को खाताधारकों के नाम तथा पते की सूची के साथ अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अपेक्षित है। अंत में बैंकों को वैसे खाताधारक, जिनके खाते निष्क्रिय हो गए हों, का पता लगाने के लिए दिनांक 7.2.2012, 8.2.2012, 21.11.2014 तथा 2.2.2015 के परिपत्र के माध्यम से सलाह दी गई है।

इसी प्रकार, आईआरडीएआई ने यह अधिदेश दिया है कि कोई बीमाकर्ता किसी भी परिस्थित में पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों की अदावाकृत राशि के किसी भाग को न तो हड़प सकता है अथवा न ही उसका प्रतिलेखन कर सकती है। आईआरडीएआई ने पॉलिसीधारकों की अदावाकृत राशि के संबंध में अपने मास्टर परिपत्र के माध्यम से बीमाकर्ताओं को यह सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइट में सर्च करने की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि पॉलिसीधारक अथवा लाभार्थी या उनके आश्रित यह पता कर सकें कि उनकी कोई राशि बीमाकर्ता के पास अदावकृत तो नहीं पड़ी है। सभी बीमा कंपनियों ने सर्च सुविधा

विकसित की है, जिसमें पॉलिसीधारक अथवा लाभार्थी को पॉलिसी नम्बर, पैन, नाम, जन्म तिथि अथवा आधार संख्या जैसे मानदण्डों के आधार पर सर्च की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, बीमाकर्ताओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे अदावाकृत राशि के संबंध में सूचना अपनी वेबसाइट पर छमाही आधार पर अद्यतन करें। आईआरडीएआई के अनुदेश में यह अधिदेश दिया गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता की पॉलिसीधारक सुरक्षा संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति यह निगरानी करेगी कि पॉलिसीधारकों को बकाया राशि का समय पर भुगतान हो। इसके अलावा, आईआरडीएआई द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार अदावाकृत राशि को कम करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहक सेवा संबंधी मानक प्रक्रिया तथा नीति के संदर्भ में पॉलिसीधारकों अथवा लाभार्थियों की पहचान करके अदावाकृत राशि को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सेबी ने भी अपने परिपत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि म्यूचुअल फंड अदावकृत राशि के सही हकदार का पता लगाने के लिए सिक्रय भूमिका अदा करे। इस संबंध में, सेबी ने यह अनुदेश दिया गया है कि आस्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) अपने पत्र के माध्यम से निवेशकों को अदावाकृत राशि के संबंध में दावा करने के लिए अनुस्मरण कराने हेतु निरंतर प्रयास करें। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड और एशोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (एएमएफआई) को अपनी वेबसाइट पर उन निवेशकों के नाम और पते की सूची प्रकाशित करना अपेक्षित है, जिनके फोलियो में अदावाकृत राशि हो। एएमएफआई/एएमसीएस को अपनी वेबसाइट पर अदावाकृत राशि का दावा करने की प्रक्रिया के संबंध में सूचना तथा इसके लिए अपेक्षित फार्म/दस्तावेज भी उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

(घ): आरबीआई ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन तथा उक्त अधिनियम में धारा 26(क) अंत:स्थापित करने के अनुसरण में जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना, 2014 तैयार की है। इस योजना को 24.5.2014 को अधिसूचित किया गया था। योजना की शर्तों के अनुसार, बैंक ऐसे सभी खातों, जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय हों (या 10 वर्ष या उससे अधिक समय से जिस राशि के संबंध में कोई दावा न किया गया हो), की संचित शेष राशि का उपर्जित ब्याज सिंहत परिकलन करता है तथा इस राशि को डीईएएफ को अंतरित करता है। डीईएएफ का प्रयोग जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जो आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार, जमकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हो। ऐसे ग्राहक, जिनकी जमा राशि को डीईएएफ में अंतरित कर दिया गया हो, से मांग प्राप्त होने पर बैंकों को ग्राहक को ब्याज सिंहत उक्त राशि का भुगतान करना तथा डीईएएफ से राशि वापस लेने के लिए दावा दर्ज करना अपेक्षित है। इसी प्रकार, जीवन तथा गैर-जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को या उससे पहले 10 वर्ष तथा उससे अधिक समय से अदावकृत राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) को अंतरित करना अपेक्षित है। दिनांक 11.4.2017 की अधिसूचना के द्वारा एससीडब्ल्यूएफ नियम में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसा किया गया था। उक्त निधि (एससीडब्ल्यूएफ) के संचालन और प्रयोग का विशेष उल्लेख एससीडब्ल्यूएफ नियम, 2016 में भी किया गया है।

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 209

गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021/25 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रवासी कामगारों को मुआवजा दिए जाने संबंधी योजना

*209. श्रीमती मौसम नूर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान कितने प्रवासी कामगारों की मृत्यु हुई, और कितने प्रवासी कामगारों को अपनी नौकरी और घर गंवाने पड़े; और
- (ख) क्या कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान अपनी जान और नौकरियां गंवाने वाले उन प्रवासी कामगारों के परिवार को मुआवजा देने की कोई योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

प्रवासी कामगारों को मुआवजा दिए जाने संबंधी योजना के संबंध में श्रीमती मौसम नूर द्वारा पूछा गया, दिनांक 16/12/2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो को अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के घटक के रूप में त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। पहली तिमाही (अप्रैल-मई-जून, 2021) के दौरान आयोजित त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण को भी चयनित 9 क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की परिचालन स्थिति और रोजगार की स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। महामारी की अविध के दौरान प्रवासी कामगारों सिहत कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव अनुबंध-। में दिया गया है।

प्रवासी कामगारों की मृत्यु सिहत मृत्यु संबंधी आंकड़ों का रखरखाव राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल 1,14,30,968 अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्यों में लौट आए हैं। राज्यवार विभाजन का ब्यौरा अनुबंध-॥ में संलग्न है। हालांकि, उनमें से अधिकांश अपने मूल या अन्य कार्यस्थलों पर वापस चले गए हैं और स्वयं को उत्पादक रोजगार में लगा लिया है।

(ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने उन प्रवासी कामगारों सहित कोविड-19 के कारण मृत्यु को प्राप्त लोगों के परिजनों को 50,000/- रुपये की अनुग्रह सहायता हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कोविड-19 महामारी फैलने के मद्देनजर गांव लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 20.06.2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन के साथ 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए 25 लक्ष्य संचालित कार्यों का गहन और केंद्रित कार्यान्वयन शामिल है। 39,293 करोड़ रुपये (लगभग) के कुल व्यय के साथ अभियान में पहले ही 50,78,68,671 श्रम-दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं।

प्रवासी कामगारों को मुआवजा दिए जाने संबंधी योजना के संबंध में श्रीमती मौसम नूर द्वारा पूछा गया, दिनांक 16.12.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

लॉकडाउन अविध (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर क्षेत्र-वार प्रभाव

क्र.सं.	क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या (लाख में)									
		लॉकडाउन	न से पूर्व	1 जुलाई, 20	1 जुलाई, 2020 की स्थिति						
		(25 मार्च, 20	20 से पहले)	के अनुसार							
		<u>प</u> ु.	म.	पु.	म.						
1	विनिर्माण	98.7	26.7	87.9	23.3						
2	सन्निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5						
3	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4						
4	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9						
5	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1						
6	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1						
7	आवास और रेस्तरां	7	1.9	6.2	1.7						
8	आईटी/ बीपीओ	13.6	6.3	12.8	6.1						
9	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7						
		217.8	90.0	201.5	83.3						
कुल											

नोट: 1. 'कुल' पंक्ति की संख्या में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए 66 प्रतिष्ठानों को भी ध्यान में रखा गया है, जो नौ चयनित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं।

2. पु.- पुरुष; म.- महिला।

प्रवासी कामगारों को मुआवजा दिए जाने संबंधी योजना के संबंध में श्रीमती मौसम नूर द्वारा पूछा गया, दिनांक 16.12.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *209 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य का नाम	अपने गृह राज्य लौट चुके इस राज्य
		के प्रवासी कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	32,571
2	अण्डमान और निकोबार	4,960
3	अरुणाचल प्रदेश	2,871
4	अ सम	4,26,441
5	बिहार	15,00,612
6	चंडीगढ़	39230
7	छत्तीसगढ	526900
8	दादरा और नागर हवेली एवं दमन व दीव	43,747
9	दिल्ली	2,047
10	गोवा	85620
11	गुजरात	0
12	हरियाणा	1,289
13	हिमाचल प्रदेश	18,652
14	जम्मू और कश्मीर	48,780
15	झारखंड	5,30,047
16	कर्नाटक	1,34,438
17	केरल	3,11,124
18	लद्दाख	50
19	लक्षद्वीप	456
20	मध्य प्रदेश	7,53,581
21	महाराष्ट्र	1,82,990
22	मणिपुर	12,338
23	मेघालय	4,266
24	मिजोरम	8446
25	नागालैंड	11,750
26	ओडिशा	853,777
27	पुदुचेरी	1,694
28	पंजाब	5,15,642
29	राजस्थान	13,08,130

30	सिक्किम	33,015
31	तमिलनाडु	72,145
32	तेलंगाना	37,050
33	त्रिपुरा	34,247
34	उत्तर प्रदेश	32,49,638
35	उत्तराखंड	1,97,128
36	पश्चिम बंगाल	13,84,693
	कुल	1,14,30,968

^{*} राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 226

(जिसका उत्तर मंगलवार, 30 नवम्बर, 2021/09 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का कार्यान्वयन

226. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2020 के दौरान घोषित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के कार्यान्वयन के संबंध में कोई समीक्षा कराई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) योजना के कार्यान्वयन के आरंभ से किए गए उपायों/उठाए गए कदमों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकार ने, 26 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की घोषणा की थी, जो गरीबों को कोविड-19 के विरूद्ध लड़ने में मदद करने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का व्यापक राहत पैकेज है। गृह मंत्रालय में पीएमजीकेपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए "आर्थिक और कल्याण उपायों पर अधिकार प्राप्त समूह" सिहत कोविड प्रतिक्रिया गितविधियों की योजना बनाने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया गया था। पीएमकेजीपी के तहत घोषित योजनाओं की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती थी ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके, यदि कोई है तो आवश्यकता के आधार पर योजनाओं को आगे जारी रखने का निर्णय लिया जा सके। वर्ष 2021 में, कोविड-19 की गंभीर दूसरी लहर के कारण, प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न योजना, जो नवम्बर, 2021 में समाप्त हो गई थी, को फिर से मई, 2021 से नवम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना को फिर से मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, कोविड-19 का सामना करने वाले स्वास्थ्य किमीयों के लिए बीमा योजना को कई बार बढ़ाया गया है, अंतिम विस्तार 180 दिनों की और अविध के लिए जोकि 20.10.2021 तक किया जा रहा है। पैकेज के तहत किए गए उपायों/लाभों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-। पर है।

पीएमजीकेपी का विवरण

- (i) कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना 30.03.2020 से शुरू की गई थी, ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान किया जा सके। इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है और यह अप्रैल, 2022 तक वैध है।
- (ii) पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोगों सिहत लिक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन मुफ्त प्रदान किया गया था। इसके अलावा, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार दालें 1 किलो प्रति परिवार तीन महीने के लिए मुफ्त प्रदान की गईं। इस योजना को नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। मुफ्त खाद्यान्न की योजना मई 2021 से नवंबर, 2021 के महीनों के लिए फिर से श्रू की गई थी। अब इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- (iii) किसानों को लाभ: 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त का भुगतान अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत किया गया था, जिसमें लगभग 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।
- (iv) नकद अंतरण-
 - क) कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को तीन महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह की अन्ग्रह राशि।
 - ख) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ लाभार्थियों को नि:शुल्क एलपीजी सिलेंडर (तीन)।
 - ग) 100 से कम कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम आय वालों को तीन महीने के लिए उनके पीएफ खातों में मासिक वेतन का चौबीस (24) प्रतिशत प्रदान किया गया। इस योजना को अगले तीन महीने यानी अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
 - घ) लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांग वर्ग के लोगों को 1000/- रुपये की राशि।
- (v) 1 अप्रैल, 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि हुई।
- (vi) स्वयं सहायता समूह: 63 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने की सीमा 10 रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
- (vii) पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक
 - क) संगठित क्षेत्र: कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में महामारी को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है, ताकि खातों से राशि का 75 प्रतिशत या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, की गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति दी जा सके।
 - ख) राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष का उपयोग करने के लिए निधि के 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक व्यवधानों से बचाने के लिए सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था।
 - ग) जिला खिनज निधि: राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के साथ-साथ इस महामारी से प्रभावित मरीजों के उपचार के संबंध में चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाओं को पूरक और बढ़ाने के लिए जिला खिनज कोष (डीएमएफ) के तहत उपलब्ध धन का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

दिनांक 30.11.2021 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 226 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

		पीएमजी एवाई (अप्रैल-नवंबर 2020)		पीएमजीएवाई दलहन/चना (अप्रैल-नवंबर 2020)		पीएमजीएवाई ॥। मई*21 से जून*21		पीएमजीएवाई IV जुलाई 21 से अक्टूबर 21		उञ्ज्वला		पीएम किसान	पाएम, बहाताह		पीएफ	एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			डीएमएफ
क्र.सं.	राज्य	खाद्यान्न मात्रा (एमटी)	लाभार्थी	दार्ले/चना मात्रा (एमटी)	ભા માર્ચી	वितरित मात्रा (एमटी)	कवर किए गए लाभार्थियाँ की संख्या (औसत)	वितरित मात्रा (एमटी)	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (औसत)	अग्रिम या प्रतिपूर्ति के बदले दिया गया पूरक विवरण	अंतरित राशि (लाख में)	ताभार्थी की संख्या	धनराशि प्रदान की गई खातों की संख्या	लाभार्थी	राशि (लाख रुपये)	कुल लाभार्थी	लाभार्थियों की संख्या	कुल राशि (रु. लाख)	राशि (करोड़ रुपये)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप सम्रूह	2,383	59,100	122	16,350	571	57,100	1,138	56,887	22,354	157	10,677	23,064	3,238.00	155.91	5,928	11,014	492	
2	आंध्र प्रदेश	9,95,500	2,61,12,304	66,492	90,28,190	2,55,687	2,55,68,719	4,85,252	2,42,62,597	7,62,024	5,163	46,95,820	60,13,565	1,85,152.00	11,651.14	9,32,661	19,67,484	19,675	131.48
3	अरुणाचल प्रदेश	30,642	7,98,490	1,034	1,77,210	8,094	8,09,380	12,571	6,28,545	76,658	518	66,323	1,80,119		0.00	34,139	3,000	60	
4	असम	9,77,964	2,48,73,000	45,456	57,86,440	2,47,225	2,47,22,480	3,91,794	1,95,89,690	52,70,571	36,257	18,61,715	95,34,385	9,772.00	252.73	8,40,984	2,70,000	2,700	0.65
5	बिहार	31,47,508	8,11,39,356	1,20,112	1,43,33,767	8,18,441	8,18,44,051	16,19,902	8,09,95,124	1,53,47,936	1,11,171	58,99,824	2,33,15,732	67,545.00	4,287.92	36,64,811	0	0	0.00
6	चंडीगढ	10,167	2,59,080	486	63,670	2,460	2,46,000	5,059	2,52,927	246	2	429	1,10,537	23,805.00	2,034.29	3,415	6,670	400	
7	छत्तीसगढ	7,89,804	1,94,31,064	39,632	51,49,800	1,98,880	1,98,88,006	3,90,773	1,95,38,627	39,71,169	32,416	21,67,441	78,57,012	84,417.00	6,404.33	8,52,275	0	0	4.36
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,568	2,58,328	519	65,240	2,530	2,52,957	5,048	2,52,396	25,360	169	13,531	52,817 17,387		0.00	9,588 1,376	0	0	
9	दिल्ली	2,72,775	6284047	13,690	17,54,513	72,627	72,62,700	1,38,379	69,18,973	1,95,912	1,263	12,075	20,30,271	41,521.00	3,642.58	1,56,436	39,600	3,960	
10	गोवा	20,585	5,14,412	1,066	1,42,550	5,201	5,20,079	9,481	4,74,027	2,108	14	7,854	69,987	16,563.00	1,265.92	2,061	5,117	307	
11	गुजरात	12,76,713	31784856	50,026	65,09,333	3,27,197	3,27,19,703	6,60,498	3,30,24,881	49,09,689	32,592	46,85,062	71,08,005	2,70,988.00	18,510.49	6,88,953	4,83,196	4,832	22.00

12	हरियाणा	4,50,912	1,11,90,324	18,812	24,27,333	1,13,473	1,13,47,309	2,25,003	1,12,50,157	15,15,279	9,902	15,14,497	34,16,299	83,035.00	6,403.61	3,27,269	3,50,621	17,531	15.85
13	हिमाचल प्रदेश	1,06,429	27,72,352	4,790	6,73,667	26,810	26,81,044	55,511	27,75,560	2,92,574	1,965	8,70,609	5,84,184	48,762.00	3,629.35	1,11,863	1,21,281	7,461	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	2,82,312	69,15,000	13,208	16,44,090	62,481	62,48,145	1,19,252	59,62,585	20,09,414	14,574	9,20,451	10,49,256	43,121.00	2,055.78	143289 (लद्दाख सहित)	155975 (लद्दाख सहित)	4,679	0.43
15	झारखंड	8,83,433	2,40,94,622	44,593	57,11,600	2,47,055	2,47,05,515	4,84,132	2,42,06,586	53,60,642	37,520	12,31,912	72,27,042	1,05,631.00	7,666.54	12,88,850	0	0	9.66
16	कर्नाटक	15,41,056	3,86,45,940	80,975	1,27,22,730	3,78,032	3,78,03,234	7,48,539	3,74,26,942	57,07,480	37,831	48,39,093	79,87,088	3,19,389.00	24,924.83	13,98,410	13,62,438	68,122	118.09
17	केरल	5,87,791	1,49,27,032	27,956	35,91,483	1,45,857	1,45,85,673	2,82,736	1,41,36,813	5,11,114	3,323	27,16,844	24,13,289	1,21,319.00	9,250.22	6,88,329	4,54,124	4,541	0.00
18	लद्दाख	5,645	1,41,480	233	29,008	1,374	1,37,420	1,964	98,195	19,172	166	0	9,951	247.00	21.08	ऊपर जम्मू- कश्मीर में शामिल	ऊपर जम्मू- कश्मीर में शामिल	0.00	
19	लक्षद्वीप	864	21,800	39	5,200	220	22,013	382	19,119	517	3	0	2,867		0.00	324	520	33	
20	मध्य प्रदेश	18,00,437	4,93,09,348	77,890	96,95,633	4,55,960	4,55,95,989	8,23,491	4,11,74,547	1,13,35,496	77,378	68,12,020	1,66,22,091	1,69,059.00	10,711.54	22,05,963	8,91,850	17,837	5.10
21	महाराष्ट्र	25,27,129	6,82,50,268	1,03,643	1,32,15,103	6,36,508	6,36,50,778	11,91,674	5,95,83,686	76,20,813	50,513	86,32,718	1,29,47,062	4,76,836.00	31,528.87	11,68,385	8,94,408	17,888	59.50
22	मणिपुर	90,747	20,47,906	4,192	5,87,503	17,077	17,07,669	28,540	14,27,011	2,76,213	2,120	2,83,457	5,04,169		0.00	61,972	52,605	526	
23	मेघालय	85,803	21,45,145	3,145	4,21,503	20,226	20,22,623	38,176	19,08,784	1,96,213	1,408	1,15,638	2,68,908	73,342.00	2,224.82	54,127	24,730	1,237	
24	मिजोरम	25,288	6,62,132	1,243	1,55,405	6,122	6,12,198	12,622	6,31,097	55,270	420	69,425	58,176		0.00	27,538	51,451	1,544	
25	नागालैंड	53,964	14,04,600	2,276	2,84,940	13,500	13,50,000	18,980	9,49,023	89,967	593	1,81,008	1,57,792		0.00	49,210	19,046	381	
26	ओडिशा	12,06,580	2,88,37,690	74,941	95,19,513	3,10,900	3,10,89,967	6,16,916	3,08,45,781	83,65,761	57,172	20,03,185	81,21,020	1,62,121.00	10,148.60	20,27,022	20,83,288	31,249	99.49
27	पुदुचेरी	23,211	5,97,945	1,273	1,78,500	6,069	6,06,935	10,445	5,22,274	31,098	203	9,715	83,926	16,456.00	1,011.52	28,757	0	0	
28	पंजाब	5,33,154	1,33,65,720	27,751	35,47,747	1,36,328	1,36,32,800	2,02,196	1,01,09,800	24,53,238	16,351	17,52,498	33,22,186	79,150.00	5,054.89	1,40,404	2,89,237	17,354	0.65
29	राजस्थान	17,52,646	4,44,44,332	75,043	99,94,240	4,20,133	4,20,13,322	6,83,918	3,41,95,923	1,11,23,374	73,858	51,64,391	1,56,13,962	1,23,266.00	7,946.42	9,87,781	22,30,000	55,750	15.93
30	सिक्किम	14,479	3,65,120	614	93,817	3,710	3,70,980	5,154	2,57,700	21,301	165	0	42,552		0.00	18,332	7,836	157	
31	तमिलनाडु	12,31,653	2,97,45,840	33,324	1,11,07,920	3,14,057	3,14,05,694	5,57,263	2,78,63,175	61,85,688	41,390	35,59,533	60,75,989	5,81,768.00	34,570.97	18,14,700	13,70,601	27,412	14.73
32	तेलंगाना	7,24,662	.,80,62,980	15,804	52,68,030	1,84,869	1,84,86,855	3,47,905	1,73,95,245	18,74,171	13,036	33,31,468	52,60,800	1,78,225.00	10,233.62	6,65,956	8,30,324	12,455	0.00
33	त्रिपुरा	94,893	23,73,722	4,420	5,40,847	24,242	24,24,161	48,416	24,20,790	4,46,819	3,747	1,90,441	4,31,770		0.00	1,38,473	39,082	1,172	
34	उत्तर प्रदेश	56,16,735	1,19,99,424	2,69,530	3,34,08,790	14,14,907	14,14,90,661	28,17,313	14,08,65,633	2,70,74,796	1,81,728	1,76,75,849	3,18,13,530	2,30,453.00	15,741.60	52,57,390	18,25,415	35,395	0.46

35	उत्तराखंड	2,37,842	58,95,600	10,736	13,44,657	59,400	59,39,990	81,376	40,68,783	7,62,313	5,015	6,74,688	12,67,372	41,863.00	3,234.58	2,15,109	2,28,423	4,568	3.49
36	पश्चिम बंगाल	23,39,724	5,83,10,164	91,452	1,40,19,333	5,87,047	5,87,04,738	11,64,461	5,82,23,039	1,72,88,933	1,16,938	0	1,89,95,377	4,28,442.00	21,132.39	21,32,959	21,98,349	21,983	0.46
	कुल	29,751,729	,80,40,523	13,26,516	18,32,15,657	75,25,269	75,25,26,888	1,42,86,258	71,43,12,916	14,12,01,683	9,67,041	8,94,54,616	20,65,00,000	39,85,486.00	2,55,696.54	2,81,45,039	1,82,67,685	3,81,702	502.33

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 578

गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 / 11 अग्रहायण, 1943 (शक)

असम और पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों के कामगारों पर कोविड-19 का प्रभाव 578. सुश्री सुष्मिता देव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पूर्वीत्तर क्षेत्र के चाय बागानों के कामगारों की संख्या के संबंध में आंकड़े रखती है;
- (ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी राज्य-वार, जिला-वार और लिंग-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने असम और पश्चिमी बंगाल राज्यों के चाय बागानों के कामगारों पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के संबंध में कोई आकलन कराया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चाय बागान के कामगारों को आर्थिक राहत प्रदान की है अथवा ऐसा करने का इरादा रखती है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)

- (क) और (ख): चाय बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 के दौरान कराए गए आधारिक सर्वेक्षण के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय बागान कामगारों का राज्य, जिला और लिंग-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
- (ग) और (घ): चाय बोर्ड सभी चाय संसाधक एककों से चाय संबंधी आंकड़े (ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) एकत्र करता है तथा चाय संबंधी विभिन्न आंकड़े जारी करने हेतु डेटा का संकलन किया गया था। इसके अलावा, मूलभूत स्तरों पर चाय बोर्ड अधिकारी की उपस्थिति चाय हितधारक, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करती है। एकत्रित डेटा का विश्लेषण विभिन्न रिपोर्ट और कार्य योजना तैयार करने के लिए किया गया था। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तथा इस

संबंध में तैयार की गई मानक प्रचालन कार्यप्रक्रिया का पालन करते हुए लगभग सभी मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्रों में चाय बागानों, चाय संसाधन एककों, नीलामी केन्द्रों, संभार-तंत्रों आदि के सामान्य कार्यसंचालन हेतु प्रयास किए गए थे।

(ङ) और (च): चाय बोर्ड ने देश में चाय उत्पादक राज्यों के चाय बागान कामगारों के लिए 31.03.2021 तक बढ़ाई गई मध्याविध ढ़ांचा (एमटीएफ) अविध (2017-2020) के दौरान कार्यान्वित की गई "चाय विकास एवं संवर्धन योजना" के अंतर्गत अपने मानव संसाधन विकास (एचआरडी) संघटक के माध्यम से चाय बागानों के कामगारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इस योजना का लक्ष्य चाय बागान कामगारों और उनके बच्चों/आश्रितजनों के जीवन और रहन-सहन की दशाओं में तीन व्यापक वर्गों के अंतर्गत सुधार लाना है जैसे:

कामगारों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाना: चाय बागान के नजदीकी अस्पतालों (चाय बागान अस्पताल नहीं)/चिकित्सा क्लीनिकों के लिए उपचार सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ चिकित्सा उपकरणों, सहायक उपकरणों और एम्बुलेंस की खरीद तथा बिस्तरों का आरक्षण, स्पेशिएलिटी अस्पतालों में नि:शक्त व्यक्तियों/कैंसर/इदय रोगियों/गुरदा प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता हेतु पूंजीगत अनुदान।

कामगारों के आश्रितों की शिक्षा: चाय बागान कामगारों के आश्रितों के लिए शैक्षिक वजीफा, चाय बागान कामगारों के आश्रितों के लिए नेहरु अवार्ड की विशेष योजना, चाय बागान कामगारों के जरूरतमंद और योग्य बच्चों, विशेष रूप से बंद हो गए चाय बागानों में अथवा गंभीर प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित चाय बागानों में, को पुस्तक और स्कूल की वर्दी हेतु योजना, चाय उत्पादक राज्यों में भारत स्काउट्स और गाइडों को वित्तीय सहायता।

कामगारों और उनके आश्रितजनों को कौशलों में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना: चाय बागान कामगारों के बच्चों और आश्रितजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

अनुबंध

असम और पश्चिम बंगाल में चाय कामगारों पर कोविड-19 के प्रभाव के संबंध में सुश्री सुष्मिता देव द्वारा पूछे गए दिनांक 02.12.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 578 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

		स्थायी			अस्थायी			कुल		
राज्य	जिला	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
	चांगलांग	115	114	229	540	596	1136	655	710	1365
	पूर्व सियांग	95	122	217	121	302	423	216	424	640
	लोंगडिंग	22	24	46	40	60	100	62	84	146
	निचली दीपांग घाटी	136	150	286	32	153	185	168	303	471
अरूणाचल	निचला सुबनसिरी	7	28	35	15	5	20	22	33	55
प्रदेश	नमसाई	0	0	0	154	306	460	154	306	460
	पापुम पारे	10	11	21	10	19	29	20	30	50
	तिराप	39	39	78	104	86	190	143	125	268
	अपर सिआंग	0	0	0	20	30	50	20	30	50
	पश्चिम सियांग	30	22	52	105	25	130	135	47	182
	बक्सा	1371	2295	3666	892	1245	2137	2263	3540	5803
	बिश्वनाथ	7269	8743	16012	5408	10822	16230	12677	19565	32242
	बोंगईगांव	159	151	310	170	480	650	329	631	960
	कछार	12476	12678	25154	7389	10333	17722	19865	23011	42876
	चरादेओ	12290	12052	24342	11144	17137	28281	23434	29189	52623
	दरांग	740	864	1604	541	1139	1680	1281	2003	3284
	धुबरी	639	494	1133	930	1466	2396	1569	1960	3529
	डिब्र्गढ़	31664	32220	63884	20693	38912	59605	52357	71132	123489
25.11.11	दीमा हसाओ	73	73	146	86	110	196	159	183	342
असम	गोलपाड़ा	182	191	373	88	306	394	270	497	767
	गोलाघाट	15691	17632	33323	8728	15206	23934	24419	32838	57257
	हैलाकांडी	3662	3251	6913	2616	3083	5699	6278	6334	12612
	जोरहाटी	18236	19936	38172	7797	12991	20788	26033	32927	58960
	कामरूप	175	184	359	379	533	912	554	717	1271
	कार्बी एंग्लोंग	529	683	1212	536	1060	1596	1065	1743	2808
	करीमगंज	4534	4265	8799	1802	2181	3983	6336	6446	12782
	कोकराझारी	1081	1270	2351	1714	2814	4528	2795	4084	6879
	लखीमपुर	4041	4067	8108	3221	4755	7976	7262	8822	16084

	मोरीगांव	325	326	651	150	350	500	475	676	1151
	नौगांव	6288	6529	12817	2517	5679	8196	8805	12208	21013
	उत्तर लखीमपुर	180	196	376	186	220	406	366	416	782
	शिवसागर	7655	7684	15339	5199	8547	13746	12854	16231	29085
	शिवसागर	1965	2335	4300	1400	2435	3835	3365	4770	8135
	सोनितपुर	18338	19790	38128	13398	23219	36617	31736	43009	74745
	तिनसुकिया	30554	34406	64960	22753	35070	57823	53307	69476	122783
	उदलगुड़ी	8756	10216	18972	7810	14603	22413	16566	24819	41385
मेघालय	री-भोई	27	21	48	33	23	56	60	44	104
मिजोरम	चम्फाई	0	0	0	15	25	40	15	25	40
नागालैंड	मोकोकचुंग	0	0	0	30	70	100	30	70	100
सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	176	226	402	46	118	164	222	344	566
	धलाई	429	512	941	205	327	532	634	839	1473
	खोवाई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उत्तर त्रिपुरा	1031	1123	2154	265	248	513	1296	1371	2667
त्रिपुरा	सिपाहीजाला	145	242	387	69	59	128	214	301	515
	दक्षिण त्रिपुरा	29	71	100	54	138	192	83	209	292
	<u> ज</u> ंनाकोटी	534	760	1294	678	1054	1732	1212	1814	3026
	पश्चिम त्रिपुरा	853	1336	2189	373	715	1088	1226	2051	3277

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 604

(दिनांक 02.12.2021 को उत्तर के लिए)

वरिष्ठ सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी

604. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह 'क' स्तर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत श्रेणी-वार कितना है;
- (ख) वर्तमान में अवर सचिव स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत श्रेणी-वार कितना है;
- (ग) क्या विरष्ठ सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कम प्रतिशत की नियमित प्रवृति है; और
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वरिष्ठ पदों को अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

- (क) : केंद्र सरकार के 56 मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 01.01.2019 तक की स्थिति के अनुसार, समूह 'क' में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 14.15, 6.4 और 16.29 है। लोक उद्यम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधकीय/कार्यकारी स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16.28 प्रतिशत, 6.93 प्रतिशत और 19.50 प्रतिशत है।
- (ख) से (घ) : समूह 'क' सेवाओं, जिनमें अन्य के साथ-साथ अवर सचिव एवं ऊपर के स्तर के अधिकारी शामिल हैं, में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्रवृत्ति सिहत विस्तृत स्थिति संलग्नक-। के रूप में संलग्न है।

दिनांक 02.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 604 के भाग (ख) से (घ) में संदर्भित संलग्नक

दिनांक 01.01.2017 से 01.01.2020 तक मंत्रालयों/विभागों में समूह 'क' पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत

तक की स्थिति के अनुसार	सूचना प्रदान करने वाले मंत्रालयों/विभागों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत	अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत
01.01.2017	76	13.2	5.6	13.4
01.01.2018	70	13.1	5.5	15.0
01.01.2019	56	14.2	6.4	16.3
01.01.2020	45	13.4	6.0	16.4

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381

गुरूवार, 09 दिसम्बर, 2021 /18 अग्रहायण, 1943 (शक)

वैश्विक पंशन सूचकांक रिपोर्ट

1381. श्री एम.शनम्गम:

क्या अम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2021 की वैश्विक पेंशन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पेंशन प्रणाली न्यूनतम पायदान पर है;
- (ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या असंगठित क्षेत्र के कुल कार्यबल के 90 प्रतिशत को पेंशन बचत प्रणाली के दायरे में लाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और
- (घ) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): उक्त वैश्विक पेंशन सूचकांक रिपोर्ट, 2021, मर्सर द्वारा प्रकाशित की गई है जो एक प्रबंधन परामर्शी व्यवसाय-प्रतिष्ठान है। यह सूचकांक पर्याप्तता, संधारणीयता और सत्यनिष्ठा के कुछ मानदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें भारत को, जापान, दिक्षण कोरिया और कुछ अन्य देशों की समान श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट विश्वसनीय तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों पर आधारित नहीं है किसी देश में विद्यमान पेंशन प्रणाली के हर पहलू को नहीं पहचानती है।

(ग) और (घ): असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना प्रदान करने हेतु, भारत सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह जीवन और अपंगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि के मामले में असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिदेशीत करता है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में दो पेंशन योजनाएं नामतः असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना और व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस व्यापारियों) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू कीं हैं। इन योजनाओं में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपए का सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। वर्ष 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना में, लाभार्थियों के अंशदान के आधार पर 1000/- रु. से रु. 5000/- रु. प्रति माह की श्रेणी में पेंशन प्रदान किया जाता है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के माध्यम से किसानों को भी शामिल कर रही है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पात्र वृद्ध, विधवा, नि:शक्त व्यक्तियों और शोक संतप्त परिवारों को पेंशन लाभ भी प्रदान कर रही है, जिसमें राज्य सरकारें भी अंशदान करती हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से वंचित मानदंडों और व्यावसायिक मानदंडों के तहत स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ सुनिश्चित किए जाते हैं। इसमें माध्यमिक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5.0 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2015 में शुरू की गई, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के तहत किसी कारण से मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख रु., दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 4.00 लाख रु. और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रु. लाभ दिया जाता है। दोनों योजनाओं के लिए वार्षिक प्रीमियम 342/- रु. है (पीएमजेजेबीवाई के लिए 330/- रु. + पीएमएसबीवाई के लिए 12/- रु.)।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1817

(जिसका उत्तर मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021/23 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है) 1817. श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किन-किन पहचान-पत्रों की आवश्यकता है;
- (ख) क्या सरकार को उन मामलों की जानकारी है जिनमें आधार कार्ड के अभाव में योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था;
- (ग) सरकार ने ऐसे मामलों का निपटान किस प्रकार किया है;
- (घ) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का और पहली, दूसरी और तीसरी किस्त में महिलाओं के खाते में अंतरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या किसी लाभार्थी को पहचान-पत्र संबंधी दस्तावेजों की कमी के कारण लाभ नहीं मिला है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी), 1.70 लाख करोड़ रुपये का एक व्यापक राहत पैकेज, जिसकी घोषणा 26 मार्च, 2020 को की गई थी, द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम-िकसान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत पहले से ही लाभ प्राप्त कर रहे पहचान किए गए व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं। पीएमजीकेपी के तहत अन्य योजनाओं में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने वाली योजना शामिल है जिसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के माध्यम से लागू किया गया है। इसके अलावा, बैंकों में प्रधान मंत्री जन धन योजना खाता रखने वाली सभी महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह का अनुग्रह भुगतान 3 माह के लिए प्रदान किया गया था।

चूंकि पीएमजीकेपी मौजूदा योजनाओं के लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्थापित तंत्र है ताकि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, जिसमें सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में नकद अंतरण, एनएफएसए के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण और ईपीएफ के तहत लाभों के लिए आधार सीड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) शामिल हैं।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 24.10.2017 और दिनांक 08.11.2018 को राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किया है कि नेटवर्क / कनेक्टिविटी / लिंकिंग मुद्दों / लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक या अन्य तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के मामले में वास्तविक लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी वास्तविक व्यक्ति/परिवार को केवल आधार कार्ड न होने के आधार पर एनएफएसए के तहत पात्र परिवारों की सूची से और सब्सिडी वाले खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें समाधान के लिए तुरंत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, चूंकि पीएमजेडीवाई खाते वाली सभी महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया था, आधार कार्ड की कमी के कारण लाभ से इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को नकद अंतरणों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है।

14.12.2021 उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	। उत्तरार्थ राज्य सभा अताराकित प्रश्न राज्य	युनिक लाभार्थियों की संख्या	3 महीने में जमा की गई
ਸਾ.ਵੀ.	राज्य	न्।णभ लाजा।यथा का संख्या	धनराशि
			(लाख रुपये)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29458	442.07
2	आंध्र प्रदेश	9221888	135817.82
3	अरुणाचल प्रदेश	187853	2817.32
4	असम	9691137	145379.97
5	बिहार	24362070	365523.65
6	चंडीगढ़	112533	1686.75
7	छत्तीसगढ	8052444	120261.75
8	दादर और नागर हवेली	53222	798.26
9	दमन और दीव	17290	259.43
10	दिल्ली	2063036	30626.52
11	गोवा	70398	1377.87
12	गुजरात	7173309	107355.95
13	हरियाणा	3544167	52812.69
14	हिमाचल प्रदेश	726187	11380.84
15	जम्मू और कश्मीर	1084965	15957.25
16	झारखंड	7450251	111673.89
17	कर्नाटक	8064352	117415.36
18	केरल	2612280	42364.80
19	लद्दाख	9377	626.02
20	लक्षद्वीप	2889	30.17
21	मध्य प्रदेश	16748931	251046.24
22	महाराष्ट्र	14167249	212167.42
23	मणिपुर	523806	8367.47
24	मेघालय	318871	4786.54
25	मिजोरम	153790	2314.33
26	नागार्लेड	177746	2660.49
27	ओडिशा	8521792	127819.72
28	पुदुचेरी	93901	1408.72
29	पंजाब	3412119	51088.6
30	राजस्थान	14852041	222699.52
31	सिक्किम	43915	658.88
32	तमिलनाडु	6138898	92098.6
33	तेलंगाना	3172991	50091.79
34	त्रिपुरा	444408	6666.8
35	उत्तर प्रदेश	32437601	485698.76
36	उत्तराखं ड	1320373	19821.62
37	पश्चिम बंगाल	19369409	290495.29
	कुल	206426947	3094499.07

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2189

गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021/25 अग्रहायण, 1943 (शक)

भविष्य निधि भुगतान के लम्बित मामले

2189. श्री एम. शनमुगम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देशभर में भविष्य निधि (पीएफ) के भुगतान के कई मामले लम्बित हुए हैं;
- (ख) यदि हां, तो दिनांक 31.10.2021 के अनुसार राज्य-वार ऐसे कितने मामले लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) विशेषकर जब डाटा का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, तो कर्मचारियों को पीएफ का शीघ्र भ्गतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): दावा निपटान एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें दावों की निरंतर प्राप्ति और निपटान होता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत लगभग 2.40 करोड़ दावे प्राप्त हुए हैं और लगभग 2.32 करोड़ (96.67%) दावों का निपटान किया गया है और शेष दावा मामले प्रक्रियाधीन हैं। दिनांक 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन पीएफ दावों को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है।

ऐसे लम्बित रहने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहकों से किसी प्रकार की कमी की स्थिति में मांगे गए स्पष्टीकरण शामिल हैं।

- (ग): लंबित पीएफ दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-
- i) पीएफ के सदस्यों को सार्वभौम खाता संख्या(यूएएन) का आबंटन किया गया है तािक यह पिछले भविष्य निधि खातों के समेकन और नियोजन में बदलाव की स्थिति में सुवाहयता में सहायक हो।
- ii) दावों का समेकित अंतरण सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल(ओटीसीपी) आरंभ किया गया है।

- iii) वैसे अभिदाता जिन्होंने अपना केवाईसी यूएएन के साथ संबद्घ किया है उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से दावा फॉर्म प्रस्तुत करने की सुविधा शुरु की गई है।
- iv) अभिदाताओं के लिए ईपीएफओ की सेवाओं का भी समेकन किया गया है तथा इसे यूनिफाइड मोबाइल एप्पिलिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) अनुप्रयोग के माध्यम से पेश किया गया है जिससे सदस्य को अपनी पासबुक तक पहुंच, अपने दावों की स्थिति का पता लगाने, ऑनलाइन माध्यम से दावा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।
- v) आहरण हेतु पूर्व के अन्यान्य दावा फॉर्मों के स्थान पर एक पृष्ठ वाला समेकित दावा फॉर्म शुरू किया गया है।
- vi) अब सदस्य से आहरण करने के लिए दस्तावेज जैसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा केवल स्व-प्रमाणन ही अपेक्षित है।
- vii) अभिदाताओं को समस्त भुगतान राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण(एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

* ***

भविष्य निधि भुगतान के लिम्बत मामले के संबंध में श्री एम. शनमुगम द्वारा पूछा गया, दिनांक 16/12/2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2189 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

		दिनांक 31.10.2021 की स्थिति के		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसार प्रक्रियाधीन कुल भविष्य		
		निधि दावे		
1	आंध्र प्रदेश	18616		
2	बिहार	8870		
3	छत्तीसगढ	9938		
4	दिल्ली	42908		
5	गोवा	3305		
6	गुजरात	48471		
7	हरियाणा	67895		
8	हिमाचल प्रदेश	3497		
9	जम्मू और कश्मीर	5672		
10	झारखंड	5657		
11	कर्नाटक	88129		
12	केरल	15705		
13	मध्य प्रदेश	17933		
14	महाराष्ट्र	209322		
15	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	6561		
16	उड़ीसा	10852		
17	पंजाब	14506		
18	राजस्थान	16752		
19	तमिलनाडु	121798		
20	उत्तर प्रदेश	44432		
21	उत्तराखंड	6524		
22	पश्चिम बंगाल	25780		
कुल योग		7,93,123		

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2190

ग्रूवार, 16 दिसम्बर, 2021/25 अग्रहायण, 1943 (शक)

कर्मचारियों की मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक से जोड़ना 2190. श्री एम. शनमुगम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के अंतर्गत कर्मचारियों की मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक से जोड़ने की मांग बढ़ रही है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना का मूल्यांकन करने हेतु किसी निगरानी समिति का गठन किया गया है;
- (घ) क्या कोई सिफारिशें की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रम्ख बातें क्या-क्या हैं; और
- (इ.) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्त्त की जाएगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): निर्वाह सूचकांक की लागत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत मासिक पेंशन को जोड़ने के लिए विभिन्न पक्षों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मांगों पर विचार करते हुए, सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति गठित की थी।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्वगत पैराग्राफ 12क के अंतर्गत दिनांक 25.09.2008 को या इससे पहले पेंशन के संराशीकरण का लाभ प्राप्त कर चुके सदस्यों के संबंध में इस संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष की समाप्ति के बाद सामान्य पेंशन की बहाली हेतु दिनांक 20.02.2020 के सा.का.िन. 132(अ.) के माध्यम से अपना निर्णय अधिसूचित किया है।

तथापि, सिमिति ने मासिक पेंशन को निर्वाह लागत सूचकांक से किसी भी प्रकार से जोड़ने की सिफारिश नहीं की क्योंकि इससे कर्मचारी पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव हो सकता है, जैसा कि ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2191

ग्रूवार, 16 दिसम्बर, 2021/25 अग्रहायण, 1943 (शक)

ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत 'आधार' संबंधी आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग नियम 2191. श्रीमती अंबिका सोनी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 'आधार' संबंधी आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग नियम हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आधार के अभाव में कर्मचारियों को कोई भी लाभ देने से इनकार नहीं किया जाएगा?

उत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): दिनांक 04.01.2017 के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 26 (ङ) द्वारा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए किसी व्यक्ति के पहचान के रूप में आधार संख्या को अवश्यक माना गया है तािक सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) हेतु मासिक मजदूरी का 1.16 प्रतिशत के दर से आर्थिक सहायता दी जा सके जो कि 15000 रु. तक हो सकती है तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 (आधार का आवेदन) को दिनांक 03.05.2021 से लागू किया गया है जो ईपीएफओ और ईएसआईसी पर समान रूप से लागू होता है। इसके अतिरिक्त, आधार डेटा के सत्यापन में समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।